



2026:AHC-LKO:17690

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

धारा 482 के अंतर्गत आवेदन संख्या - 4766 वर्ष 2012

राजीव गुप्ता का शिकायत मामला

.....आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य

.....विपक्षी(गण)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता

: आर.पी. शुक्ला, ए.के.

शुक्ला

विपक्षी(यों) के अधिवक्ता

: शासकीय अधिवक्ता, नदीम मुर्तेज़ा

साथ में 10 और मामले

सुरक्षित किया गया: 23.02.2026

सुनाया गया: 11.03.2026

अपलोड किया गया: 11.03.2026

माननीय न्यायमूर्ति बृज राज सिंह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. चूँकि ये आवेदन कानून और तथ्य के सामान्य प्रश्न उठाते हैं, इसलिए इनका निर्णय एक सामान्य निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 4766/2012, 4762/2012, 4763/2012, 4764/2012, 4765/2012, 4767/2012, 4768/2012, 4769/2012 तथा 4770/2012 आवेदक-राजीव गुप्ता द्वारा क्रमशः दिनांक 23.1.2012, 10.7.2012, 23.1.2012, 23.1.2012, 23.1.2012, 23.1.2012, 19.3.2012, 28.2.2012 तथा 23.1.2012 के आदेशों को, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 28, जनपद लखनऊ द्वारा क्रमशः शिकायत वाद संख्या 41/2012, 1109/2012, 28/2012, 3044/2011, 40/2012, 29/2012, 372/2012, 347/2012 तथा 30/2012 में पारित किए गए थे, रद्द कराए जाने हेतु प्रस्तुत किए गए थे, जिनके माध्यम से परक्राम्य लिखत अधिनियम (एन.आई. एक्ट) की धारा 138 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया था तथा आवेदक को समन जारी किए गए थे, साथ ही उक्त समस्तवादों की संपूर्ण कार्यवाही को भी रद्द किए जाने हेतु प्रार्थना की गई थी।

3. धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आवेदन संख्या 4569/2022 तथा 4570/2022 आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, जिनमें क्रमशः शिकायत वाद संख्या 5424/2017 तथा 5425/2017, जो थाना-गोमती नगर, जनपद-लखनऊ में परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत पंजीकृत किए गए थे तथा अपर न्यायालय, न्यायालय संख्या 1, लखनऊ के समक्ष लंबित हैं, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को, आक्षेपित समन आदेश दिनांक 06.01.2018 तथा दिनांक 24.02.2022 को जारी किए गए जमानतीय वारंट सहित, रद्द किए जाने हेतु प्रार्थना की गई थी।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. आवेदक-राजीव गुप्ता का मामला यह है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत एक शिकायत वाद प्रस्तुत किया, जिसमें यह उल्लेख किया गया कि वह मेसर्स एप्रोच एडवरटाइजिंग एंड एग्जीबिटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से व्यवसाय करता है। शिकायती ने अभियुक्त के उत्पादों का विज्ञापन किया, जिसके बदले अभियुक्त ने अपने दायित्वों के निर्वहन हेतु चेकों के माध्यम से भुगतान किया। शिकायत में यह भी उल्लिखित है कि अभियुक्त ने दिनांक 30.10.2011 को विजया बैंक, कमला नगर शाखा के चेक के माध्यम से रु.1 लाख का भुगतान किया। अभियुक्त द्वारा जारी किया गया चेक भुगतान हेतु उसके बैंकर कैनरा बैंक, हजरतगंज शाखा, लखनऊ में प्रस्तुत किया गया था तथा उक्त चेक अभियुक्त के बैंकर को भेजा गया, परंतु वह इस टिप्पणी के साथ वापस लौटा दिया गया कि खाते में पर्याप्त धनराशि नहीं है। शिकायती ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से दिनांक 29.11.2011, 12.4.2012, 24.11.2011, 5.11.2011, 28.11.2011, 25.11.2011, 27.1.2012, 3.1.2012 तथा 26.11.2011 को विधिक सूचनाएं भेजीं, जिनमें अभियुक्त-राजीव गुप्ता से यह अपेक्षा की गई कि वह विधिक सूचना प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर चेक में उल्लिखित राशि का भुगतान करे। तथापि, अभियुक्त ने उक्त विधिक सूचनाओं को प्राप्त करने से इंकार कर दिया।

5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक-राजीव गुप्ता, मेसर्स स्लिम केयर हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी का निदेशक है तथा उक्त कंपनी, कंपनी रजिस्ट्रार के पास पंजीकरण संख्या 55-103910/1999-2000 के अंतर्गत पंजीकृत है। कंपनी के उत्पाद के विज्ञापन का कार्य विपक्षी पक्ष संख्या 2 को दिया गया था, जिसने वर्ष 2000 से लेकर वर्ष 2011 के अंत तक विभिन्न तिथियों में



रु.1,30,00,000/- (एक करोड़ तीस लाख रुपये) से अधिक की राशि प्राप्त कर ली थी। यह निवेदन किया गया है कि कई बार विज्ञापन, कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी किसी विमोचन आदेश के बिना ही जारी कर दिए जाते थे। कभी-कभी विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा किसी आकस्मिकता के बहाने अग्रिम रूप से चेक भी ले लिए जाते थे। विपक्षी पक्ष संख्या 2 ने शिकायत में इस तथ्य का कहीं भी उल्लेख तक नहीं किया है कि उसने कंपनी से पहले ही भारी धनराशि प्राप्त कर ली थी। यह निवेदन किया गया है कि आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 सहपठित धारा 141 के अंतर्गत कोई अपराध नहीं बनता है तथा परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत यह अपेक्षित है कि धारा 138 के प्रावधानों को प्रवर्तित करने हेतु कोई प्रवर्तनीय दायित्व विद्यमान होना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा न तो कोई विमोचन आदेश जारी किया गया था और न ही उसके द्वारा कोई विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसके संबंध में वह विवादित राशि का दावा कर रहा है, तथा विमोचन आदेश के बिना विपक्षी पक्ष संख्या 2 को विज्ञापन प्रकाशित करने का कोई अधिकार नहीं था, और यदि वह प्रकाशित ही नहीं किया गया, तो कंपनी किसी भी भुगतान हेतु उत्तरदायी नहीं है।

6. यह भी कथन किया गया है कि परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 141(2) का पूर्ण उल्लंघन है, इस कारण से कि अधिनियम की धारा 141 की उपधारा (2) के सामान्य अवलोकन से यह स्पष्ट है कि यदि अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो कंपनी के साथ-साथ अपराध कारित किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए कंपनी के प्रति उत्तरदायी तथा उसके भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा। यह

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निवेदन किया गया है कि आवेदकगण पर आपराधिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शिकायत में कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है तथा कंपनी को कोई सूचना तामील नहीं कराई गई है।

7. आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह निवेदन किया गया है कि अधिनियम की धारा 141 में "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कंपनी को इंगित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व की अवधारणा किसी निगम या कंपनी पर भी लागू होती है और यह अधिनियम की धारा 141 में प्रयुक्त भाषा से स्पष्टतः प्रकट है। यह उल्लेखनीय है कि वर्तमान अधिनियमन ऐसा है जिसमें कंपनी स्वयं तथा कुछ परिस्थितियों में अधिकारियों की कुछ श्रेणियां भी अपराध की दोषी समझी जाती हैं। अतः यह स्पष्ट है कि कंपनी पर आपराधिक दायित्व हो सकता है तथा इसके अतिरिक्त, यदि कंपनियों के कारोबार का संचालन करने वाले व्यक्तियों के समूह में आपराधिक आशय है, तो वह निगमित निकाय पर आरोपित किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, अधिनियम की धारा 141 को समझा जाना चाहिए। यह निवेदन किया गया है कि कठोर निर्वचन के सिद्धांत को लागू करते हुए, कंपनी द्वारा अपराध का कारित किया जाना, अन्य व्यक्तियों के प्रतिनिधिक दायित्व को आकर्षित करने हेतु एक अभिव्यक्त पूर्वापेक्षित शर्त है। अतः धारा में प्रयुक्त शब्द "साथ ही कंपनी भी" यह पूर्णतः असंदिग्ध रूप से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर अभियोजन चलाया जा सकता हो, तभी अन्य श्रेणी में वर्णित व्यक्ति शिकायत में किए गए अभिकथनों तथा उनके प्रमाण के अधीन अपराध हेतु उत्तरदायी हो सकता है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



8. अपने तर्क के समर्थन में, आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे कंपनी द्वारा जारी किए गए उन चेकों पर भी भरोसा किया है, जो पूरक शपथपत्र के साथ अभिलेख पर रखे गए हैं। कहा गया है कि उक्त चेक कंपनी द्वारा जारी किए गए थे और उन पर प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर थे। इस प्रकार, अपराध कंपनी द्वारा किया गया है, जबकि आवेदकगण कंपनी के प्रबंध निदेशकों में से एक हैं, अतः दायित्व उन पर नहीं डाला जा सकता। उन्होंने *अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 5 SCC 661, डी.बी. मेहता और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य, 2012(2) JIC 923 (इला.) और संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य* (धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन संख्या 2162/2016), जिसका निर्णय दिनांक 10.2.2021 को हुआ था, इन निर्णयों पर भी भरोसा किया है।

9. आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी द्वारा प्रस्तुत किए गए दोनों मामले, अर्थात् धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन संख्या 4569/2022 तथा 4570/2022, में भी इसी प्रकार के तथ्यात्मक तथा विधिक पहलू विद्यमान हैं तथा क्रमांक 140328 (रु.9 लाख) तथा क्रमांक 140327 (रु.3 लाख) के दो चेक अस्वीकृत हुए हैं और उक्त चेक कंपनी द्वारा जारी किए गए थे, किंतु परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रस्तुत शिकायतों में कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है। कंपनी के प्रबंध निदेशक आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी को पक्षकार बनाया गया है। आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह निवेदन किया गया है कि आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी का मामला *अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स प्राइवेट लिमिटेड (2012) 5 SCC 661*, के निर्णय द्वारा आच्छादित है। उनका कहना है कि दोनों चेकों के अस्वीकृत हेतु विधिक सूचनाएं दिनांक 22.7.2017 को दी गई थीं तथा

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसके पश्चात दोनों मामलों में दिनांक 6.1.2018 को समन जारी किए गए थे। उनका कहना है कि आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी का मामला आवेदक-राजीव गुप्ता के मामले के समान है।

10. दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने एक प्रतिशपथपत्र प्रस्तुत करते हुए यह कहा है कि आवेदकगण ने एक करार (समझौता ज्ञापन) दिया था, जिसमें आवेदकगण के उत्पाद के विज्ञापन के संबंध में कुल 12,20,927/- रुपये की बकाया राशि का उल्लेख था, जिसमें विपक्षी पक्ष संख्या 2 को क्रमांक 314981 से 314991 तक के चेक, जो दिनांक 30.4.2011 से 31.3.2012 तक प्रत्येक 1-1 लाख रुपये के थे, प्राप्त हुए थे तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 द्वारा किए गए विज्ञापन की समस्त बकाया राशि के विरुद्ध 1,20,927/- रुपये का एक और चेक भी दिया गया था। यह भी कहा गया है कि कंपनी के उत्पाद के विज्ञापन का कार्य विपक्षी पक्ष संख्या 2 को दिया गया था और उसके द्वारा विज्ञापन किया भी गया, जिसके अनुसरण में आवेदकगण ने करार किया था। यह निवेदन किया गया है कि आवेदकगण को विधिक सूचनाएं तामील कराई गई थीं, किंतु उनका कोई उत्तर नहीं दिया गया, जिसके पश्चात शिकायत प्रस्तुत किए गए। उनका कहना है कि आवेदक राजीव गुप्ता को मेसर्स स्लिम केयर हर्बल प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक की हैसियत से सूचनाएं जारी की गई थीं, अतः यह नहीं कहा जा सकता कि कंपनी को विधिक सूचनाएं तामील नहीं कराई गईं। उनका कहना है कि एक प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को, उसके पदनाम से ही सामान्यतः यह माना जा सकता है कि वह कंपनी के दैनिक कामकाज के प्रबंधन हेतु कंपनी के कार्यों का भारसाधक व्यक्ति है और इस दायरे में यह निश्चित रूप से आ जाएगा कि मुकदमा आरंभ कराने हेतु सिविल विधि हो या दंड विधि, न्यायालय के समक्ष जाने का कार्य भी उसी में सम्मिलित माना जाएगा।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने उच्चतम न्यायालय के **भूपेश रथौड़ बनाम दयाशंकर प्रसाद चौरसिया तथा अन्य, (2022) 2 एससीसी 355** के निर्णय पर भी भरोसा किया है।

11. श्री राव नरेंद्र सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता, जिनकी सहायता सुश्री तन्वी जैन द्वारा की गई, ने यह निवेदन किया है कि आवेदकगण कंपनी के प्रबंध निदेशक हैं, अतः दायित्व उन पर डाला जा सकता है। उनका कहना है कि आवेदकगण ने कंपनी का प्रतिनिधित्व किया है, अतः **धनसिंह प्रभु बनाम चंद्रशेखर तथा अन्य, 2025 एससीसी आनलाइन एससी 1419** के उच्चतम न्यायालय के निर्णय को देखते हुए, प्रबंध निदेशक होने के नाते आवेदकगण पर दायित्व डाला जा सकता है तथा शिकायत-पत्र में कंपनी के नाम का भी उल्लेख है, अतः निचली अदालत द्वारा जारी किए गए समन में कोई भी अवैधता या त्रुटि नहीं है।

12. मैंने धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन संख्या 4766/2012, 4762/2012, 4763/2012, 4764/2012, 4765/2012, 4767/2012, 4768/2012, 4769/2012 तथा 4770/2012 में आवेदक-राजीव गुप्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री आर.पी. शुक्ला के साथ श्री ए.के. शुक्ला, राज्य के लिए विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता-प्रथम श्री राव नरेंद्र सिंह, जिनकी सहायता सुश्री तन्वी जैन द्वारा की गई, तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री नदीम मुर्तजा की जगह श्री पार्थ आनंद को सुना, तथा धारा 482 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आवेदन संख्या 4569/2022 तथा 4570/2022 में आवेदक-संतोष कुमार बाजपेयी के विद्वान अधिवक्ता श्री सत्य प्रकाश मिश्रा को भी सुना। तथापि, विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ, तथा अभिलेख का भी अवलोकन किया।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

13. परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 तथा धारा 141 से संबंधित विषय पर उच्चतम न्यायालय द्वारा **अनीता हाडा** (पूर्वोक्त) के मामले में विचार किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व की अवधारणा किसी निगम या कंपनी पर भी लागू होती है और यह अधिनियम की धारा 141 में प्रयुक्त भाषा से पूर्णतः स्पष्ट है। अधिनियम की धारा 138 सहपठित धारा 141 के सामान्य वाचन से यह प्रकट होता है कि यदि अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो कंपनी के साथ-साथ, अपराध कारित किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन हेतु कंपनी के प्रति उत्तरदायी तथा उसके भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा। उक्त निर्णय के अनुच्छेद 20, 22, 23, 24, 25, 26, 32, 38, 39, 58 तथा 59 नीचे उद्धृत किए जा रहे हैं:

"20. अधिनियम की धारा 7 में "आहर्ता" की परिभाषा इस प्रकार दी गई है कि इसका अर्थ विनिमय-पत्र या चेक बनाने वाले व्यक्ति से है। कंपनी का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता एक आहर्ता बन जाता है, क्योंकि उसे कंपनी द्वारा रखे गए खाते के संबंध में ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

...

"22. उक्त उपबंध के वाचन से यह दिन के समान स्पष्ट है कि यदि अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अपराध कारित करने वाला व्यक्ति कोई कंपनी है, तो कंपनी के साथ-साथ, अपराध कारित किए जाने के समय कंपनी के कारोबार के संचालन हेतु कंपनी के प्रति उत्तरदायी तथा उसके भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा। पहला परंतुक उन परिस्थितियों को बताता है जिनमें आपराधिक दायित्व अधिरोपित नहीं किया जाएगा। उपधारा (2), मिलीभगत, उपेक्षा तथा सहमति की अवधारणाओं को सम्मिलित करते हुए आपराधिक दायित्व का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विस्तार करती है, जो अधिकारियों की कई श्रेणियों को अपने भीतर समेट लेती हैं। यह ध्यान देने योग्य है कि दोनों उपबंधों में आपराधिक दायित्व की "समझी जाने" की अवधारणा विद्यमान है।

"23. अधिनियम की धारा 139, धारक के पक्ष में एक उपधारणा उत्पन्न करती है। उक्त उपबंध को अधिनियम के अध्याय XIII में विद्यमान धारा 118(क) के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो साक्ष्य के विशेष नियमों से संबंधित है। धारा 140, उस प्रतिवाद का उल्लेख करती है, जिसे अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत अभियोजन में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, आपराधिक दायित्व के संबंध में एक कल्पित रचना, धारक के पक्ष में उपधारणा, तथा कुछ बिन्दुओं के संबंध में प्रतिवाद का निषेध विद्यमान है।

24. धारा 141 में "व्यक्ति" शब्द का प्रयोग किया गया है, जो कंपनी को इंगित करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है। कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व की अवधारणा किसी निगम तथा कंपनी पर भी लागू होती है और यह अधिनियम की धारा 141 में प्रयुक्त भाषा से पूर्णतः स्पष्ट है। यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि वर्तमान अधिनियमन ऐसा है जिसमें कंपनी स्वयं तथा कुछ परिस्थितियों में अधिकारियों की कुछ श्रेणियां भी अपराध की दोषी समझी जाती हैं।

25. इंग्लैंड के हल्सबरी कानून, खंड 11(1), अनुच्छेद 35 में यह प्रतिपादित किया गया है कि सामान्यतः, आपराधिक दायित्व के संबंध में एक निगम की स्थिति एक प्राकृतिक व्यक्ति के समान ही होती है तथा उसे सामान्य विधि एवं कानूनी अपराधों, जिनमें आपराधिक आशय की अपेक्षा वाले अपराध भी सम्मिलित हैं, हेतु दोषसिद्ध किया जा सकता है।

26. 19 कॉर्पस जूरिस सेकुंडम, अनुच्छेद 1358 में, आपराधिक अभियोजन के संबंध में दायित्व से निपटते हुए, यह कहा गया है कि एक निगम, जुर्माने से दंडनीय अपराधों हेतु आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी होगा; कुछ अधिकारक्षेत्रों में, किसी निगम को तभी दोषसिद्ध किया जा सकता है जब विधि द्वारा विशेष रूप से ऐसा उपबंधित किया गया हो।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

"32. हमने उपर्युक्त सन्दर्भों का उल्लेख इस बात को उजागर करने हेतु किया है कि कंपनी पर आपराधिक दायित्व हो सकता है तथा इसके अतिरिक्त, यदि कंपनियों के कारोबार का संचालन करने वाले व्यक्तियों के समूह में आपराधिक आशय है, तो वह निगमित निकाय पर आरोपित किया जाएगा। इस पृष्ठभूमि में, अधिनियम की धारा 141 को समझा जाना चाहिए। उक्त उपबंध स्पष्ट रूप से यह उपबंधित करता है कि जब कोई व्यक्ति, जो एक कंपनी है, कोई अपराध कारित करता है, तब भारसाधक व्यक्तियों की कुछ श्रेणियां तथा कंपनी दोनों ही धारा 138 के अंतर्गत अपराधों हेतु उत्तरदायी समझी जाएंगी। इस प्रकार, विधायी आशय पूर्णतः स्पष्ट है। जैसा कि प्रतीत होता है, उक्त उपबंध पदाधिकारियों तथा कंपनियों को उत्तरदायी बनाता है, और यह कल्पित रचना के माध्यम से किया जाता है। एक कल्पित रचना का अपना विशेष महत्व होता है।

"38. उपर्युक्त निर्णयों से जो सिद्धांत निकाला जा सकता है, वह यह है कि यह न्यायालय का परमकर्तव्य है कि वह यह पता लगाए कि कल्पित रचना किस उद्देश्य से बनाई गई है। यह भी न्यायालय का कर्तव्य है कि वह उस कल्पित रचना की सभी वास्तविक परिणतियों तथा दृष्टान्तों की कल्पना करे, जब तक कि ऐसा करने से उसे प्रतिषिद्ध न कर दिया गया हो। इसके अतिरिक्त, "समझा जाएगा" शब्द का प्रयोग उसके संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए तथा साथ ही, उसका पूर्ण तार्किक प्रयोजन एवं आशय भी समझा जाना चाहिए। क्योंकि आधुनिक विधायन में, "समझा जाएगा" शब्द का प्रयोग अनेक प्रयोजनों हेतु किया गया है। विधायिका के उद्देश्य को सदैव ध्यान में रखा जाना चाहिए।

"39. अधिनियम की धारा 141 में प्रयुक्त "समझा जाएगा" शब्द, कंपनी तथा कंपनी के कार्यों हेतु उत्तरदायी व्यक्तियों पर लागू होता है। यह कॉर्पोरेट आपराधिक दायित्व तथा कंपनी के भारसाधक व्यक्ति के प्रतिनिधिक दायित्व को क्रिस्टलीकृत करता है। किसी व्यक्ति को प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी बनाने हेतु किन अभिकथनों की आवश्यकता है, इस विषय पर एस.एम.एस. फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड [(2005) 8 एस.सी.सी. 89] में विचार किया गया है। उक्त मामले में यह अभिमत व्यक्त किया गया है कि चेक अस्वीकृति के कारण आपराधिक दायित्व मुख्यतः आहर्ता कंपनी पर पड़ता है तथा वह कंपनी के अधिकारियों तक विस्तारित होता है, और चूंकि अधिकारियों तक दायित्व विस्तारित करने



हेतु एक विशिष्ट उपबंध विद्यमान है, अतः धारा 141 में सम्मिलित शर्तों की पूर्ति होनी अनिवार्य है।

"58. कठोर निर्वचन के सिद्धांत को लागू करते हुए, हमारा सुविचारित मत है कि कंपनी द्वारा अपराध का कारित किया जाना, अन्य व्यक्तियों के प्रतिनिधिक दायित्व को आकर्षित करने हेतु एक अभिव्यक्त पूर्वापेक्षित शर्त है। अतः धारा में प्रयुक्त शब्द "साथ ही कंपनी भी" यह पूर्णतः असंदिग्ध रूप से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर अभियोजन चलाया जा सकता हो, तभी अन्य श्रेणियों में वर्णित व्यक्ति, याचिका में किए गए अभिकथनों तथा उनके प्रमाण के अधीन, अपराध हेतु प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं। इस तथ्य से बेखबर नहीं रहा जा सकता कि कंपनी एक विधिक व्यक्ति है और उसकी अपनी प्रतिष्ठा है। यदि उसके विरुद्ध कोई निष्कर्ष अभिलिखित किया जाता है, तो इससे उसकी ख्याति में एक कमी उत्पन्न होगी। ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं जब किसी निदेशक पर अभियोग लगाए जाने से कॉर्पोरेट प्रतिष्ठा प्रभावित होती है।

"59. अपने उपर्युक्त विश्लेषण को दृष्टिगत रखते हुए, हम इस अनिवार्य निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अधिनियम की धारा 141 के अंतर्गत अभियोजन बनाए रखने हेतु, कंपनी को अभियुक्त के रूप में पक्षकार बनाया जाना अनिवार्य है। अपराधियों की अन्य श्रेणियों को केवल प्रतिनिधिक दायित्व के आधार पर ही जाल में लाया जा सकता है, जैसा कि उपबंध में ही उपबंधित किया गया है। हम ऐसा सी.वी. परेख [(1970) 3 एस.सी.सी. 491] के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत के आधार पर कहते हैं, जो तीन-न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। इस प्रकार, शिवरतन अग्रवाल [(1984) 4 एस.सी.सी. 352] में व्यक्त किया गया मत, विधि को सही रूप में प्रतिपादित नहीं करता तथा तदनुसार, इसके द्वारा अभिनिर्णीत किया जाता है। अनिल हड़ा [(2000) 1 एस.सी.सी. 1] में दिया गया निर्णय, अनुच्छेद 51 में वर्णित शर्त के साथ अभिनिर्णीत किया जाता है। मोदी डिस्टिलरी [(1987) 3 एस.सी.सी. 684] में दिए गए निर्णय को, जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, अपने ही तथ्यों तक सीमित माना जाना चाहिए।"

14. उच्चतम न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कंपनी द्वारा अपराध का कारित किया जाना, अन्य व्यक्तियों

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के प्रतिनिधिक दायित्व को आकर्षित करने हेतु एक अभिव्यक्त पूर्वापेक्षित शर्त है। अतः धारा में प्रयुक्त शब्द "साथ ही कंपनी भी" यह पूर्णतः असंदिग्ध रूप से स्पष्ट करते हैं कि जब कंपनी पर अभियोजन चलाया जा सकता हो, तभी अन्य श्रेणियों में वर्णित व्यक्ति, शिकायत में किए गए अभिकथनों तथा उनके प्रमाण के अधीन, अपराध हेतु प्रतिनिधिक रूप से उत्तरदायी हो सकते हैं।

15. इस न्यायालय की एक समकक्षी पीठ ने भी *संजय सिंह (पूर्वोक्त)* के मामले में *अनीता हाडा (पूर्वोक्त)* के निर्णय पर भरोसा किया है तथा यह अभिनिर्धारित किया है कि जब तक कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया जाता, तब तक प्रबंध निदेशक पर कोई प्रतिनिधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता तथा शिकायत आगे नहीं बढ़ सकता। उक्त निर्णय का अनुच्छेद-44 इस प्रकार है:

"44. उपर्युक्त को दृष्टिगत रखते हुए, यह न्यायालय इस बात से संतुष्ट है कि चूंकि शिकायत कंपनी के विरुद्ध प्रस्तुत नहीं किया गया है; चूंकि कंपनी को अभियुक्त पक्षकार नहीं बनाया गया है; अतः अभियुक्त-आवेदक पर कोई प्रतिनिधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता। शिकायत, आवेदक के विरुद्ध उसकी वैयक्तिक हैसियत में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि चेक कंपनी द्वारा जारी किया गया था तथा आवेदक ने उसके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के रूप में चेक पर हस्ताक्षर किए थे। आवेदक के विरुद्ध परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 सहपठित धारा 141 के अंतर्गत, प्रथमदृष्ट्या भी, कोई अपराध नहीं बनता है।"

16. दूसरी ओर, विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने *भूपेश रथौड़* (पूर्वोक्त) के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21, 22 तथा 26 में इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



"21. यदि हम उस शिकायत के प्रारूप को देखें, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है, तो यह पूर्णतः स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने कंपनी की ओर से ही शिकायत प्रस्तुत किया है। ऐसा भी एक प्रारूप हो सकता है, जिसमें पहले कंपनी का नाम वर्णित किया गया हो तथा वह प्रबंध निदेशक के माध्यम से वाद ला रही हो, किंतु केवल इसलिए कोई मूलभूत त्रुटि नहीं मानी जा सकती कि पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है, तत्पश्चात कंपनी में उसके द्वारा धारित पद का उल्लेख किया गया है।

"22. यह भी उल्लेखनीय है कि शिकायत के साथ बोर्ड संकल्प की एक प्रति भी प्रस्तुत की गई थी। विचारण न्यायालय में कंपनी द्वारा एक शपथपत्र भी अभिलेख पर लाया गया था, जिसमें प्रबंध निदेशक के पक्ष में प्राधिकार के तथ्य की पुष्टि की गई थी। एक प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को, उसके पदनाम से ही सामान्यतः यह माना जा सकता है कि वह कंपनी के दैनिक कामकाज के प्रबंधन हेतु कंपनी के कार्यों का भारसाधक व्यक्ति है, और इस दायरे में यह निश्चित रूप से आ जाएगा कि विचारण आरंभ कराने हेतु सिविल विधि हो या दंड विधि, न्यायालय के समक्ष जाने का कार्य भी उसी में सम्मिलित माना जाएगा [क्रेडेंशियल फाइनेंस लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य, 1998 एस.सी.सी. ऑनलाइन बॉम्बे 515]। केवल इसलिए शिकायत को असफल मानना कि उसके मुख्य भाग में प्राधिकार का विस्तार से वर्णन नहीं किया गया है, अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण होगा। कृत्रिम व्यक्ति होने के नाते, कंपनी को किसी व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से ही कार्य करना होता है, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक भी सम्मिलित होंगे। केवल प्राधिकार के अस्तित्व की जांच की जा सकती थी।

....

"26. हमारे मत में, सबसे सारभूत पहलुओं में से एक यह है, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, कि चेकों पर किए गए हस्ताक्षरों से इंकार नहीं किया गया था। न ही यह किसी वैकल्पिक कहानी के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि सम्यक रूप से हस्ताक्षरित चेक कंपनी को क्यों सौंपे गए थे। किसी प्रकार की कपट या मिथ्याव्यपदेशन का कोई अभिवाक् भी नहीं लिया गया था। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि उपर्युक्त स्थिति का सामना करते हुए, प्रत्यर्थी ने अपने दायित्व से बचने हेतु केवल शिकायत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



के प्रारूप से उत्पन्न होने वाला एक तकनीकी अभिवाक् लेने का प्रयास किया। किसी ऋण करार को पृथक रूप से निष्पादित किए जाने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लेन-देन की किसी वैकल्पिक प्रकृति का कभी उल्लेख ही नहीं किया गया था।"

17. यह उल्लेख करना उपयुक्त है कि **भूपेश रथौड़** (पूर्वोक्त) के मामले में, यह स्पष्ट है कि प्रबंध निदेशक ने कंपनी की ओर से ही शिकायत प्रस्तुत किया था। ऐसा भी एक प्रारूप हो सकता है, जिसमें पहले कंपनी का नाम वर्णित किया गया हो तथा वह प्रबंध निदेशक के माध्यम से वाद ला रही हो, किंतु केवल इसलिए कोई मूलभूत त्रुटि नहीं मानी जा सकती कि पहले प्रबंध निदेशक का नाम बताया गया है, तत्पश्चात् कंपनी में उसके द्वारा धारित पद का उल्लेख किया गया है। उक्त मामले में, कंपनी द्वारा शिकायत के साथ बोर्ड संकल्प भी प्रस्तुत किया गया था, जिसमें प्रबंध निदेशक के पक्ष में प्राधिकार के तथ्य की पुष्टि की गई थी। एक प्रबंधक या प्रबंध निदेशक को, उसके पदनाम से ही सामान्यतः यह माना जा सकता है कि वह कंपनी के दैनिक कामकाज के प्रबंधन हेतु कंपनी के कार्यों का भारसाधक व्यक्ति है, और इस दायरे में यह निश्चित रूप से आ जाएगा कि विचारण आरंभ कराने हेतु सिविल विधि हो या दंड विधि, न्यायालय के समक्ष जाने का कार्य भी उसी में सम्मिलित माना जाएगा। उपर्युक्त मामले में, कंपनी को किसी व्यक्ति/अधिकारी के माध्यम से ही कार्य करना था, जिसमें तार्किक रूप से अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक भी सम्मिलित होते।

18. **भूपेश रथौड़** (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्यों को **अनीता हाडा** (पूर्वोक्त) के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। यह पूर्णतः स्पष्ट है कि **अनीता हाडा** (पूर्वोक्त) के मामले में, कंपनी को पक्षकार बनाए बिना ही प्रबंध निदेशकों में से एक को अभियुक्त बनाया गया था। परक्राम्य लिखत

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अधिनियम की धारा 141 सहपठित धारा 138 के अंतर्गत यह विधिक अपेक्षा है कि अपराध कारित किए जाने के समय, कंपनी के साथ-साथ कंपनी के कारोबार के संचालन हेतु कंपनी के प्रति उत्तरदायी तथा उसके भारसाधक प्रत्येक व्यक्ति को भी अपराध का दोषी समझा जाएगा, तथा यदि शिकायत स्वीकार कर लिया जाता है, तो प्रतिकर का भुगतान कंपनी द्वारा किया जाएगा, न कि प्रबंध निदेशक द्वारा, किंतु वर्तमान मामले में, कंपनी को पक्षकार नहीं बनाया गया है।

19. **भूपेश रथौड़** (पूर्वोक्त) के मामले के तथ्य इस कारण से पूर्णतः विभेद्य हैं, क्योंकि **भूपेश रथौड़** (पूर्वोक्त) के मामले में, यह कंपनी ही थी जिसने बोर्ड संकल्प के माध्यम से प्रबंध निदेशक को शिकायत प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया था, जबकि वर्तमान मामले में, कंपनी अभियुक्त है, किंतु उसे न तो कोई विधिक सूचना दी गई है और न ही शिकायत में पक्षकार बनाया गया है।

20. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया गया **धनसिंह प्रभु** (पूर्वोक्त) के मामले का निर्णय भी वर्तमान मामले में इस कारण से लागू नहीं होता, क्योंकि उस मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि साझेदारी फर्म को अभियुक्त के रूप में नामित न किए जाने की दशा में भी, यदि साझेदारी फर्म के साझेदारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाती है, तो वे साझेदारी फर्म के साथ-साथ तथा फर्म के साझेदारों के आपस में भी संयुक्ततः एवं पृथक्-पृथक् रूप से उत्तरदायी होने के नाते, शिकायत तब भी चलने योग्य है। उक्त मामला साझेदारी फर्म से संबंधित है, अतः यह वर्तमान मामले में लागू नहीं होता, जो परक्राम्य लिखत अधिनियम की धारा 138 सहपठित धारा 141 से संबंधित है।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



21. उपर्युक्त विवेचन को दृष्टिगत रखते हुए, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि आवेदकगण के विरुद्ध प्रस्तुत शिकायत इस कारण से बने नहीं रह सकते, क्योंकि कंपनी को अभियुक्त नहीं बनाया गया है तथा आवेदकगण पर कोई प्रतिनिधिक दायित्व नहीं डाला जा सकता। शिकायत, आवेदकगण के विरुद्ध उनकी वैयक्तिक हैसियत में आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि चेक कंपनी द्वारा जारी किए गए थे।

22. तदनुसार, ये आवेदन **स्वीकार** किए जाते हैं तथा शिकायत वाद संख्या 41/2012, 1109/2012, 28/2012, 3044/2011, 40/2012, 29/2012, 372/2012, 347/2012, 30/2012, 5424/2017 तथा 5425/2017, जो आवेदकगण के विरुद्ध निचली अदालत के समक्ष लंबित हैं, की संपूर्ण कार्यवाही तथा उससे उत्पन्न सभी परिणामी कार्यवाहियों को इसके द्वारा रद्द किया जाता है। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष संख्या 2 चाहे, तो उसके लिए यह खुला रहेगा कि वह राशि की वसूली हेतु विधि के अंतर्गत उपलब्ध विधिक उपचारों का सहारा ले सके।

(न्यायमूर्ति बृजराज सिंह)

11 मार्च 2026

सचिन

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।